राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /रा.पी.प्र/SSB/2016/ 332 दिनांक : 11-3-16

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, पीसीपीएनडीटी की बैठक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमान् राजेन्द्र राठौड़ के आदेशानुसार एवं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पदेन उपाध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड श्री मुकेश शर्मा के निर्देशानुसार दिनांक 25.02.2016 को दोपहर 12.00 बजे स्वास्थ्य भवन के आरएचएसडीपी हॉल में आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूची (परिशिष्ठ 'अ') के अनुसार माननीय सदस्यों राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य संबंधित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी व विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री नवीन जैन ने बैठक के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आईटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आइटम के अनुसार चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

1. पिछली राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड बैठक दिनांक 05.10.2015 में लिये गये निर्णय एवं उनकी अनुपालना कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
2. राज्य समुचित प्राधिकारी के क्रम संख्या 3 के लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनित विधि विभाग के एक अधिकारी श्री उतम चन्द शर्मा, उप सचिव, विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से सम्बन्धित अधिसुचना से माननीय बोर्ड को अवगत करवाया गया।
3. वर्ष 2015 में किये गये निरीक्षणों के सन्दर्भ में श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2015 में राज्य, जिला व उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उनके प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कुल 1372 निरीक्षण किये गये। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में सत्रह जिला कलेक्टरों ने वर्ष 2015 में एक भी निरीक्षण नहीं किया। डॉ.(श्रीमति) मीना आसोपा ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों ने मत प्रकट किया कि जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना गंभीर विषय है बल्कि यह सम्बन्धित अधिकारी की अधिनियम का क्रियान्वयन करने एवं गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच को रोकने के मूल उद्‌देश्य के विपरीत एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक भी माना गया है। सभी जिला कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु लिखा जाये तथा जिन कलेक्टर द्वारा निरीक्षण नहीं किये गये है उनसे कारण पूछा जाये।
4. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि राज्य में 604 केन्द्रों का वर्ष 2015 में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया। बोर्ड ने सभी उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों को वर्ष 2016 में सभी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये।सबसे ज्यादा निरीक्षण नहीं किये गये बकाया केन्द्रों वाले प्रथम तीन जिलों के जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों को सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किये जाये।
5. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि राज्य में सभी सोनोग्राफी केन्द्रों का नवीनीकरण समय समय पर किया जा रहा है तथा वर्तमान में इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर के अनुसार श्रीगंगानगर के तीन सोनोग्राफी सेन्टर का न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर नवीनीकरण नहीं हो पाया है।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन CWP 349/2006 VHAP V/s UOI & others के सन्दर्भ में परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी श्री रघुवीर सिंह ने माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि प्रकरण में जारी निर्देशनों की अनुपालना की जा रही है। स्पेशल लीव पीटिशन 5800/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम प्रमोद बेदी में प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रकरण में आगामी तिथि 15.03.2016 नियत है।

7. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी ने माननीय बोर्ड को यह भी अवगत कराया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन सिविल रिट पीटीशन (जनहित याचिका) 3270/2012 डॉ.एस. के. गुप्ता बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा रिव्यू पीटीशन 99/2014 राजस्थान राज्य बनाम विजय कुमार गुप्ता व अन्य के प्रकरणों पर प्रभावी व शीघ्र सुनवाई के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता से निवेदन किया जा रहा है।

8. श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के प्रकरणों में राज्य सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी की जा रही है।श्री गिल ने बताया कि पीसीपीएनडीटी प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

9. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि गर्भवती महिलाओं की प्रभावी ट्रेकिंग की गई है जिसमें बाल लिंगानुपात प्रतिहजार 926 बालिका आया है। एर्बोशन वाले उच्चतम पांच चिन्हित जिलों में विभाग के डेवलपमेन्ट पार्टनर से एक सर्वे करवाया जायेगा।

10. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि OJAS में अगस्त 15 से जनवरी 16 तक के डाटा से बाल लिंगानुपात प्रतिहजार 984 बालिका प्राप्त हुआ है इसी प्रकार PCTS में अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के मध्य प्रतिहजार 929 बालिका प्राप्त हुआ है। माननीय बोर्ड ने किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

11. श्री नवीन जैन ने आपातकालीन परिस्थितियों में सोनोग्रफी करवाने वाली महिलाओं की पहचान को प्रमाणित स्वयं चिकित्सक द्वारा करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. नीता पाटनी ने बोर्ड को अवगत कराया कि यह एक अच्छा प्रयास है इस हेतु चिकित्सकों के लिये प्रफोर्मा निर्धारित किया जाये। श्री नवीन जैन ने प्रफोर्मा बनाने की जिम्मेदारी एडीपी पीसीपीएनडीटी व विधिक सलाहकार पीसीपीएनडीटी को सौंपी।।

12. श्री नवीन जैन ने माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि राज्य में मुखबीर योजना के अन्तर्गत कुल 30 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं। वर्ष 2015 में 06 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं। अगले वितीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से डिकॉय ऑपरेशन हेतु 20 लाख रूपये की मांग की गयी है। श्री नवीन जैन ने सभी उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों व जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिये कि भ्रुण लिंग जांच में संलिप्त लोगों को डिकॉय के माध्यम से पकड़े।

13. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि राज्य में हर जिले में YDC, NCC, NSS, SCOUT and GUIDE के माध्यम से क्रार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। श्री नवीन जैन ने निर्देश दिये कि YDC के तहत जिले की कन्या महाविधालय में कार्यक्रम आवश्यक रूप से होने चाहिये। इस सम्बन्ध में जयपुर व उदयपुर जिले में कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाने पर जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को नोटिस जारी किये जायें।

14. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि टोल फ्री नम्बर 104 का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया जाये और प्राप्त होने वाली शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

15. माननीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जिलों में फॉर्म एफ की ऑडिट व पीसीपीएनडीटी अधिनियम से सम्बन्धित अन्य कार्य करने के लिये कम्पयूटर ऑपरेटर को दिया जाने वाला मानदेय पीसीपीएनडीटी नियम,1996 के नियम 5 में प्राप्त होने वाली राशि से जिला स्तर पर दिया जा सकता है।

तत्पश्चात् श्री नवीन जैन ने सभी माननीय सदस्यों को बताया कि राज्य में बाल लिंगानुपात(0–6 वर्ष) में संतुलनात्मक स्थिति प्राप्त करना राज्य सरकार की प्रथम वरीयता है तथा उन्होंने इस लक्ष्य को अमली जामा पहनाने हेतु माननीय सदस्यों से महत्वपुर्ण सुझाव आमन्त्रित किये।

16. श्री जी.एस.गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सुझाया कि जो व्यक्ति बालिकाओं को गोद ले रहे हैं उनको गोद ली गई बालिका के घर महीने में दो दिन जाना चाहिये। श्री गिल ने सुझाव दिया कि शिक्षा विभाग के प्रतिनिधित्व हेतु राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में एक प्रतिनिधि विशेष आमन्त्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाना चाहिये।

17. श्री जी.एस.गिल ने सुझाव दिया कि हरियाणा राज्य के The Pre-conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Act,2009 की तरह

राजस्थान में भी अधिसुचना जारी होनी चाहिये। श्री नवीन जैन ने बताया कि इस तरह का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

18. इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में भरे जा रहे ऑनलाईन फॉर्म एफ तथा मैन्यूल फॉर्म एफ में द्वितीय तिमाही में सोनोग्राफी करवाने वाली गर्भवती महिलाओं के संतान संबंधी विश्लेषण किया जाये तथा जिन गर्भवती महिलाओं के प्रथम दो संतान बेटियां है, उनकी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम के माध्यम कांउन्सिल करवाकर उनमें बेटा–बेटी एक समान है कि भावना का प्रचार–प्रसार करना तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
19. फॉर्म एफ पूर्ण भरने संबंधी अनिवार्यता के लिये सभी केन्द्रों की काउन्सलिंग करना तथा निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के स्टाफ को भी डिकॉय ऑपरेशन में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करना।
20. माननीय न्यायालय में दायर परिवादों की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं मासिक समीक्षा की जाये तथा माननीय न्यायालय द्वारा जिन चिकित्सकों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लंघन संबंधी दोषसिद्ध तय की गयी है, उन चिकित्सकों के राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा रजिस्ट्रेशन शीघ्र निलम्बन एवं निरस्त करने की कार्यवाही करवाना तथा प्राबेशन पर छूट चिकित्सको के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कदम उठाना तथा इनकी सूची पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के साथ साझा करना।
21. डिकॉय ऑपरेशन में सहायता करने वालों को लगातार प्रेरित करना। ऐसे व्यक्तियों की जिलेवार गुप्त सूचना की सूची बनवायी जायें।
22. आईएमए, फोग्सी, आईआरआईए के माध्यम से नवाचार "Doctors for Daughters" के अन्तर्गत बेसहारा व गरीब बालिकाओं के लिये शिक्षा व्यवस्था योजना को प्रोत्साहित करना।
23. आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम की सेक्टर स्तर पर आयोजित होने वाली नियमित बैठकों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ का प्रचार–प्रसार करने हेतु घर–घर जाकर आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम को प्रेरित करना।
24. सामाजिक सरोकार को बढावा देने हेतु मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल, सिनेमा एवं मनोरंजन घर के एसोसिएशन से बेटी बचाओ बेटी पढाओ पर प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर दर्ज करवाने के प्रावधान का प्रचार–प्रसार करना।
25. जिलो में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन में जिला कलक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नियमित सोनोग्राफी केन्द्रो का निरीक्षण करना, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ–साथ जिला स्तर पर आयोजित होने वाली पीसीपीएनडीटी की कार्यशाला में जिला कलक्टर को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये तथा राज्य स्तर पर होने वाली कलक्टर्स कान्फ्रेस में पीसीपीएनडीटी विषय को एजेन्डा आईटम में शामिल किये जाये।
26. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ने बैठक में आये सभी जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी को यह सख्त निर्देश दिये कि पर्यवेक्षण बोर्ड में सुझाव/ निर्णय पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा SRB के TRENDS का पता लगाया जाकर कार्ययोजना बनाई जाये।

- बैठक लगभग तीन घण्टे तक चली।
- आगामी बैठक नियमित अवधि चार माह के अंतराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक का समापन उपाध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष,राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी),विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
5. श्रीमति संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत, पाली 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165। (Email :- sanjanaagari@gmail.com)
6. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। (E-mail:-neetapatni@gmail.com)
14. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
15. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 (Email :- seemadaya3@gmail.com)
16. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांघी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)
17. डॉ0 सुमन मेहंदीरत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)
18. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)
19. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9314613665 (Email :- drtarunpatni@hotmail.com)
20. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
21. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (Email :- drskjain007@gmail.com)
22. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)

B

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकारए कमरा नं0 145ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर मोबाईल नं. 9414581756, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
5. श्री उतम चन्द शर्मा, उप सचिव, विधि(संहिताकरण एवं प्रकाशन), विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।

7. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।

C

1. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाईमाधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर "**बेटी बचाओं अभियान**", हाल निवास सिटी पैलेस, जयपुर, मोबाईल नं. 8003555511, 9829050077।

D

1. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 349/06 VHAP V/s UOI & Others** के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. श्री जी.एस0 गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 3270/2012 S.K Gupta V/s Union of India & Ors** एवं रिव्यू पिटिशन 99/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक(SHIFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

E

1. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
4. सहायक निदेशक IEC, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
7. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/राज्य समन्वयक(पीसीपीएनडीटी)/विधि सलाहकार(पीसीपीएनडीटी)/कनिष्ठ लिपिक/सूचना सहायक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आईईसी, मुख्यालय जयपुर।
8. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलॉड करने बाबत्।
9. संबंधित रक्षित पत्रावली।

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.02.2016 में उपस्थित सदस्यगण व आमंत्रित सदस्यों की सूची:–

A

सदस्य – राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड :–

1. श्रीमति चित्रा राठौड़, कार्यक्रम निदेशक, निदेशालय, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री महेन्द्र कुमार बालोदिया, डीएलआर, विधि विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री हुकुम सिंह, पुलिस उपअधीक्षक, बाल अधिकारिता विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 वी.के. माथुर (सदस्य), निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
5. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
6. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर।
7. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर।
8. डॉ0 तरूण पाटनी, आनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
9. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, जयपुर।

B

सदस्य – राज्य समुचित प्राधिकारी :–

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
3. श्री उतम चन्द शर्मा, उप सचिव, विधि(संहिताकरण एवं प्रकाशन), विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।

C

विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यगण :–

1. डॉ.प्रीतम बी यशवन्त I.A.S., निदेशक आईईसी एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. डॉ. एस.सी.सोनी अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रतिनिधि विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

D

सदस्य – राज्य व जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ :–

1. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलवर चूरू एवं सिरोही।

2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान (जिला समन्वयक अलवर, बाड़मेर, चुरू, डुंगरपुर एवं सिरोही को छोडकर)

3. समस्त स्टाफ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/पुलिस थाना पीबीआई, राजस्थान जयपुर।

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप
निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।